



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23594-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 759/2026

सतीश कुमारयाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : ज्ञान प्रकाश मिश्रा, ओम शिव पाण्डेय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा दिनांक 11.09.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 222/2025, धारा 318(4), 336(3), 338, 351(3) बी.एन.एस., 2023, थाना खानपुर, जमपट्ट बुलंदशहर उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची पूर्णतः निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध कोई भी आरोपित अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके सचिन कुमार/सूचनाकर्ता को नौकरी दिलाने के बहाने एक बड़ी राशि प्राप्त की है और आगे यह भी आरोप है कि उन्होंने सूचनाकर्ता को दिनांक 20.12.2024 का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया था, और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपराध प्रकट होता है, इसलिए, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एससीसी 779 में रिपोर्ट किए गए मामले, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किए गए मामले और माननीय शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि याची सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके सचिन कुमार/सूचनाकर्ता को नौकरी दिलाने के बहाने एक बड़ी राशि प्राप्त की है और आगे यह भी आरोप है कि उन्होंने सूचनाकर्ता को दिनांक 20.12.2024 का एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया था, इस प्रकार, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपराध प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि और इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. हालांकि, यदि याची उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निस्तारण किया जाएगा।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"